(75)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भूरा/2017/3315 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 783/2015–16/अपील

.....

श्रीमती मिथलेश अष्ठाना पत्नी स्व0 सुशील बहादुर अष्ठाना
निवासी देवीपुरम कॉलोनी सरकुलर रोड,
शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

--- आवेदिका

विरूद्ध

1– हरिमोहन पुत्र श्री महाराज सिंह,
निवासी– बड़ौदी सड़क, जिला शिवपुरी (म0प्र0)
2– मंगल सिंह पुत्र श्री हरीसिंह यादव
3– रघुवर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह यादव
4– निन्नोबाई पुत्री श्री हरीसिंह यादव
5– सिरदार सिंह पुत्र श्री फूलसिंह यादव,
6– धीरज सिंह पुत्र श्री फूलसिंह यादव,
7– रामादे पत्नी श्री फूलसिंह यादव,
8– मोतीलाल पुत्र श्री चिंटू यादव,
निवासीगण – ग्राम रातौर, तहसील
व जिला शिवपुरी (म0प्र0)
9– सुरेश चन्द्र पुत्र श्री ज्ञानीचन्द जैन
निवासी–महल कॉलोनी, शिवपुरी (म0प्र0)
10– दक्खो वैवा श्री धनीराम जाटव,
11– बलवीर पुत्र श्री धनीराम जाटव,
12– दयाचन्द पुत्र श्री धनीराम जाटव,
13– मुन्नी पुत्री श्री धनीराम जाटव,
14– रेखा पुत्री श्री धनीराम जाटव,
15– मातादीन पुत्र श्री रतनलाल जाटव,
16– पुरूषोत्तम पुत्र श्री रतनलाल जाटव,
17– रामकली पुत्री श्री रतनलाल जाटव,
18– सोमवती पुत्री श्री रतनलाल जाटव,
19– रतीराम पुत्र श्री पन्नू जाटव
निवासीगण– ग्राम फतेहपुर, तहसील
व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

--- अनावेदकगण

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अधिवक्ता आवेदिका,
अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-10-18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 783/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बडौदी तहसील व जिला शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 11 रकवा 1.160 हैक्टेयर को आवेदिका द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 हरिमोहन पुत्र श्री महाराज सिंह से विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2014 से विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई है, जिसका नामान्तरण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2015 द्वारा स्वीकार किया गया है, तभी से आवेदिका उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रही है। अनावेदक क्रमांक 1 हरिमोहन को यह भूमि तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 20/2012–13/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2013 द्वारा बंटवारा से प्राप्त हुई है। इस बंटवारा प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 के ताऊ श्री हल्केराम पुत्र मूलाराम द्वारा तहसील न्यायालय में शामिल खाते के बंटवारा हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था, परन्तु हल्केराम की मृत्यु होने से वसीयतनामा के आधार पर नामांत्रण हुआ इसलिए हरिमोहन पुत्र महाराज सिंह बंटवारा प्रकरण में हल्केराम के स्थान पर रिकॉर्ड पर आया। अनावेदक क्रमांक 10 लगायत 19 द्वारा तहसीलदार शिवपुरी के बटवारा प्रकरण की अपील लगभग एक वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 20/ 2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 से अधीनस्थ न्यायालय के बटवारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16.05.2013 निरस्त किया गई, इससे दुखित होकर आवेदिका द्वारा इसकी अपील अपर आयुक्त,

ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसका प्रकरण क्रमांक 783/2015–16/अपील दर्ज हुआ। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 30.08.2017 से अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2017 से अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 यथावत रखा गया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्यय किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया गया। आवेदिका के अभिभाषक द्वारा लेखी बहस एवं तर्क में बताया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 हरिमोहन के ताऊ श्री हल्केराम द्वारा ग्राम बड़ौदी सडक के सर्वे नम्बर 7, 8, 10, 11, 12, 13, 28, 87, 88/1, 387 एवं 390 कुल किता 11 रकवा 48 बीघा 1 विस्वा 10.041 हैक्टेयर विक्रय पत्र दिनांक 19.02.1977 को हरी सिंह से भूमि क्रय की गयी थी, इसलिए उपरोक्त विवादित भूमि हल्केराम की स्वअर्जित सम्पत्ति है, पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है। इस खाते में से हिस्सा 1/8 की भूमि रकवा 6 बीघा 2 विस्वा भूमि विक्रय पत्र क्रमांक 84 दिनांक 19.02.1978 के विक्रेता हिस्सेदार हरीसिंह पुत्र गबडू से क्रय की गई थी उस समय वर्ष 1977 में विक्रेता हरीसिंह द्वारा हल्केराम को इस खाते के सर्वे नम्बर 11 रकवा 5 बीघा 11 विस्वा का कब्जा मौके पर दिया गया था तभी से श्री हल्केराम उक्त सर्वे नम्बर पर काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। अभिभाषक द्वारा विक्रय पत्र एवं खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसके बाद उक्त खाते में से शामिल अन्य खातेदारों द्वारा अपने हिस्से में से भूमि विक्रय की गयी है, तत्कालीन पटवारी द्वारा जो भी भूमि विक्रय की गयी, उसका अलग–अलग खाता कायम किया गया, जबकि हल्केराम द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं की गयी। इस प्रकार वर्ष 2012–13 में सर्वे नम्बर 7, 8, 10, 11, 12, 13 मिन 3, 28 मिन–1, 87,

88/1, 387, 390 कुल किता 11 रकवा 6.070 हैक्टेयर का विक्रय के बाद रह गया तत्कालीन पटवारी द्वारा इस खाते में भी हल्केराम का हिस्सात 13/100 बनाय गया, जिसका रकवा 0.789 हैक्टेयर होता है। अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में बताया गया है कि श्री हल्केराम द्वारा वर्ष 1977 में 6 बीघा 2 विस्वा की रकवा खरीदा गया था, तब से आज तक कोई रकवा विक्रय नहीं किया गया है। तत्कालीन पटवारी द्वारा भी हल्केराम का रकवा हिस्सा बनाते समय भूल की गयी है, गलत हिस्सा दर्ज किया गया है। अभिभाषक द्वारा प्रमाणित खसरे की नकलें प्रस्तुत की गयी है, जिससे प्रमाणित होता है कि हल्केराम द्वारा क्रय की गयी भूमि में से कोई भूमि विक्रय नहीं की गयी है। हल्केराम पढ़ा–लिखा नहीं था, वह हिस्से के ज्ञान को नहीं समझता था।

4–अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 20/2015–16/अपील में आदेश दिनांक 16.08.2016 में रिस्पोडेन्ट क्रमांक 1 हरिमोहन के द्वारा बताया गया कि हल्केराम द्वारा वर्ष 1977 से 6 बीघा 2 विस्वा भूमि क्रय की गयी थी, का उल्लेख किया गया है तथा निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर लिखा गया है कि हरीमोहन को कुल सभी सर्वे नम्बरों में से 100/53 की वसीयत की गयी थी, जबकि फर्द बंटवारा बनाते समय सर्वे नम्बर 11 रकवा 1.160 हैक्टेयर दे दिया गया है, जबकि सर्वे नम्बर 11 में रिस्पोडेन्ट का हिस्सा 100/53 बनता है, उल्लेखित किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रकवा 6.070 हैक्टेयर के खाते में 100/53 की वसीयत की गयी है, 12 बीघा का कितना रकवा होता है, नहीं बताया गया है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लिखे अनुसार उक्त खाते में 100/53 का हिस्सा 3.217 हैक्टेयर होता, इसका मतलब वसीयत अधिक रकवे की करायी गयी है जबकि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा केवल सर्वे नम्बर 11 रकवा 1.160 हैक्टेयर में 100/53 हिस्सा बनता है। इस संबंध में पाया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी सर्वे नम्बरों में 100/53 रकवा होना चाहिए, यदि ऐसा हुआ तो कोई भी कृषक, कृषि सुविधा की दृष्टि से खेती नहीं कर सकता। ऐसे शामिल खातों में शामिल कृषक स्थल पर अलग–अलग खेत बांटकर कृषि

कार्य करते है, जो सुविधाजनक होता है। उसी प्रकार कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाना उचित होता है। अपील में न्यायालय अपर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिये गये, उपरोक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी आदेश दिनांक 16.08.2016 यथावत रखा गया है।

5– मैंने प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया। अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये है। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

6– प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया गया है। निर्णय में उल्लेख जरूर किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 1 के ताऊ भी हल्केराम द्वारा वर्ष 1977 में 6 बीघा 2 विस्वा भूमि क्रय की गई थी। वर्ष 1977 में हल्केराम 1/8 का भूमिस्वामी था, परन्तु अन्य हिस्सेदारों द्वारा भूमि विक्रय करने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा हिस्से पर अमल न करते हुए खाता अलग–अलग कायम किये गये, जिससे वर्ष 2012–13 में शामिल खाता 6.070 हैक्टेयर का रह गया, जिससे कि हल्केराम का रकवा भी कम हो गया। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह विचार नहीं किया गया कि वर्ष 1977 के भी हल्केराम 6 बीघा 2 विस्वा का हिस्सेदार भूमिस्वामी था और अब तक उसने कोई भूमि विक्रय नहीं की गयी, तो उसका रकवा कहां चला गया, यदि तत्कालीन पटवारी द्वारा इसमें भूल की गयी है तो पटवारी की भूल को तहसीलदार द्वारा इस वक्त दुरूस्त की जाना चाहिए था, जिससे की हल्केराम की अपने हिस्से की भूमि पर न्यायिक हक प्राप्त हो सके। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी हरीमोहन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित साक्ष्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि श्री हल्केराम पढ़ा–लिखा नहीं था, वह हिस्सा बाट नहीं समझता था।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार कर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 783/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 विधि सम्मत न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिवपुरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आवेदिका का हिस्सा पृथक कर बकाया भाग को दुरूस्त कर, गुण–दोषों के आधार पर विधिवत आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर